न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन केन्द्रीय दल निदेशालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर। हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जलसिंह नोमिनी
   एफबीओ मैसर्सः—दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा।
2. मैसर्सः—दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

(परिवाद अन्तर्गत धारा 51, 52 तथा 58 धारा 26 2(II) एवं 51एफएसएस एक्ट 2006)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 एवं अप्रेल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटि फिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.08.2022 को 02:30 PM पर मैसर्सः— दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जलसिंह उपस्थित मिला। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री अशोक कुमार ने स्वयं को मैसर्सः— दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा का खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी होना बताया एवं वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि लगभग 150 कार्टन **Ghee(Deshratna)** जिसमे प्रत्येक में 500 मिली के 24 जार आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। जिसका अमानक एवं मिथ्याछाप होने का शक होने पर 500 मिली के 4 जार **Ghee(Deshratna)** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 800/—रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर करवाये एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 500 मिली के 4 जार **Ghee(Deshratna)** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक ए.जी.—2997 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक ए.जी.–2997 नियमानुसार चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर सील बन्द कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवार रसीद प्राप्त की। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2678/एक्ट/2022/2712 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** का नमूना मिसब्राण्ड तथा सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2678/एक्ट/2022/2712 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** के नमूने में **Foreign Fat present** होने के कारण तथा उक्त नमूने का फैटी एसिड प्रोफाइल घी के फैटी एसिड प्रोफाइल से मेल नहीं खाने के कारण अवमानक **(substandard)** पाया गया है। जो कि रेगुलेशन नम्बर **2.3.7(2) of food safety and standards (Prohibitions and restricition on sales) Regulation 2011** का उल्लंघन होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** के लेबल पर **Use by/Expiry** तिथि अंकित नहीं होने एवं **Nutritional Information** नियमानुसार अंकित नहीं होने के कारण धारा **3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन होने से यह नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड, अवमानक **(substandard)** खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** का विक्रय कर रेगुलेशन नम्बर **2.3.7(2) of food safety and standards (Prohibitions and restricition on sales) Regulation 2011,** धारा **3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 तथा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 67 / 2022 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2678 / एक्ट / 2022 / 2712 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** का नमूना मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड, अवमानक **(substandard)** खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** का विक्रय कर रेगुलेशन नम्बर **2.3.7(2) of food safety and standards (Prohibitions and restricition on sales) Regulation 2011,** धारा **3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **Ghee(Deshratna)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जलसिंह नोमिनी एफबीओ मैसर्सः—दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा पर 20000 / —(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः— .07.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि ात हैः—

1. श्री भानु प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा तत्कालीन केन्द्रीय दल निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जलसिंह नोमिनी
   एफबीओ मैसर्सः—दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा।
3. मैसर्सः—दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा—जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा